उपायुक्त का कार्यालय, धनबाद।

(जिला राजस्व शाखा)

निरसा अंचल अन्तर्गत DFCCIL के विशेष रेलवे लाईन परियोजना हेतु गैर मजरूआ/रैयती (किस्म–जंगल) भूमि का अनापति प्रमाण पत्र।

महाप्रबंधक, DFCCIL कोलकाता का पत्र सं0–614, दिनांक–24.09.2020 के द्वारा मौजा–बड़ा आम्बोना/173 के विभिन्न खाता, प्लॉटों में कुल रकवा–**0.0857** एकड़ **किस्म–जगंल** भूमि का अनापति प्रमाण पत्र की मांग की गई है। जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, निरसा का ज्ञापांक–**96**, दिनांक–**19.01.2021** के द्वारा जॉचोपरान्त अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। जो गैरमजरूआ/रैयती (किस्म–जंगल) भूमि निम्नवत् है:–

कमांक	अंचल का नाम	मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा (एकड़ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	निरसा	बड़ा आम्बोना	173	526	116	0.1180	अनाबाद बिहार सरकार
				526	123	0.2150	रैयती भूमि
				208	119	0.1240	
				97	120	0.0580	
				333	121	0.1150	
				72	122	0.2270	
कुल :–						**0.8570 एकड़**	

किस्म भूमि जंगल कुल रकवा–**0.8570** एकड़ में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि या संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रकिया की तहत प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। तत्पश्चात् उपरोक्त वर्णित गैरमजरूआ/रैयती **(किस्म–जंगल)** भूमि के सःशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोवस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

20/01/21

उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक 344 /रा0, धनबाद, दिनांक 21/01/2021

प्रतिलिपि :–मुख्य परियोजना प्रबंधक, DFCCIL कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :–सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :–आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

20/01/21

उपायुक्त, धनबाद।